



2026:AHC:126508

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 19362/2026

ममता मिश्रा और एक अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदकगण के अधिवक्ता : धीरेन्द्र प्रताप सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता : जी0ए0

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल

1. आवेदकों के अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह और राज्य की ओर से ए0जी0ए0 की बात सुनी।
2. यह अर्ज़ी मुकदमा अपराध संख्या 675/2023 धारा 306 भारतीय दंड संहिता, थाना-सहजनवां, ज़िला- गोरखपुर में आवेदकों की ज़मानत पर रिहाई के लिए दायर की गई है।
3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 01.12.2023 को अजयराज तिवारी अपने घर पर फंदे से लटके हुए पाए गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पास से चार सुसाइड नोट बरामद किए। इन सुसाइड नोट में मृतक ने कथित तौर पर अपनी सौतेली माँ, माया देवी और कुछ अन्य लोगों को अपनी मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। आरोप है कि आरोपियों द्वारा मानसिक रूप से परेशान किए जाने के कारण मृतक ने आत्महत्या की। लिखित शिकायत और सुसाइड नोट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया।

4. आवेदकों के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। मरने वाला व्यक्ति सह-आरोपी माया देवी का सौतेला बेटा था; माया देवी आवेदक नंबर 1 की बहन और आवेदक नंबर 2 की सास हैं। आवेदकों पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि आवेदक सिर्फ माया देवी के रिश्तेदार हैं और माया देवी और मृतक व्यक्ति के बीच पारिवारिक झगड़े से उनका कोई लेना-देना नहीं है। यह भी बताया गया है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि सह-आरोपी माया देवी, जिनका नाम सुसाइड नोट में है, को पहले ही जमानत मिल चुकी है, और एक अन्य सह-आरोपी, कृष्ण चंद्र मिश्रा को भी इस न्यायालय की एक बेंच ने जमानत पर रिहा कर दिया है। आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक 25.04.2026 से जेल में है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और सुनवाई में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है।

6. दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, आवेदकों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि और उनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आवेदक जमानत पाने का हकदार है।

7. इसके अनुसार, जमानत की अर्जी **मंजूर** की जाती है।

8. ऊपर बताए गए मामले में शामिल आवेदकों - **ममता मिश्रा और रघुनायक तिवारी** - को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका और दो-दो जमानतदार पेश करें और नीचे दी गई शर्तों का पालन करें। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदकों को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वे सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेंगे। अगर इस शर्त का

पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदकों को विचारण न्यायालय में तय हर तारीख पर खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वे बिना किसी ठोस कारण के गैर-हाज़िर रहते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक सुनवाई के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय में पेश नहीं होते हैं, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदकों को विचारण न्यायालय में इन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा: (1) सुनवाई की शुरुआत, (2) आरोप तय करना और (3) सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करना। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक की गैर-हाज़िरी जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के है, तो न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का सुनवाई न्यायाधीश पर कोई असर नहीं पड़ेगा; वे गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

(श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

10 जून, 2026